अध्याय 7

प्रकीर्ण

1898 के अधिनियम 6 का संशोधन।

147. भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की प्रथम अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, रखी जाएगी, अर्थात्:—

"प्रथम अनुसूची

(धारा 7 देखिए)

अंतर्देशीय डाक महसूल की दरें

पत्र

बीस ग्राम से अनधिक वजन के लिए	5.00 रु0
बीस ग्राम से अधिक के हर बीस ग्राम, या उसके भिन्नांश के लिए	5.00 रु0

पत्र-कार्ड

पत्र-कार्ड के लिए	2.50 रु0

पोस्ट कार्ड

पोस्ट कार्ड (जो ऐसे पोस्ट कार्ड नहीं हैं जिनमें मुद्रित संसूचना, प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड या मेघदूत पोस्ट कार्ड है)

एकल	50 पैसे
जवाबी	1.00 रु0

मेघदूत पोस्ट कार्ड

पोस्ट कार्ड जिसमें पते की ओर मुद्रित विज्ञापन है (जो ऐसा पोस्ट कार्ड नहीं है जिसमें मुद्रित संसूचना या प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड है)

मेघदूत पोस्ट कार्ड के लिए	25 पैसे

मुद्रित पोस्ट कार्ड

पोस्ट कार्ड जिनमें मुद्रित संसूचना है (जो प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड या मेघदूत पोस्ट कार्ड नहीं है)

एक पोस्ट कार्ड के लिए	6.00 रु0

स्पष्टीकरण—यदि पोस्ट कार्ड में कोई बात (भेजने वाले के नाम और पते तथा उससे संबंधित अन्य विशिष्टियों तथा भेजने के स्थान और तारीख को छोड़कर) मुद्रण या चक्र-मुद्रण या किसी अन्य यांत्रिकी प्रक्रिया द्वारा, टंकण के सिवाय, पोस्ट कार्ड के पते वाले पृष्ठ के दाहिने हाथ के आधे भाग के सिवाय किसी अन्य भाग पर अभिलिखित की जाती है तो यह समझा जाएगा कि उस पोस्ट कार्ड में मुद्रित संसूचना है ।

प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड

एक पोस्ट कार्ड के लिए	10.00 रु0

स्पष्टीकरण—यदि पोस्ट कार्ड का प्रयोग टेलीविजन, रेडियो, समाचारपत्र, पत्रिका अथवा किसी अन्य संचार माध्यम से आयोजित किसी प्रतियोगिता के जवाब में किया जाता है तो यह समझा जाएगा कि वह पोस्ट कार्ड, प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड है ।

पुस्तक, पैटर्न और सैम्पल पैकेट

प्रथम पचास ग्राम या उसके भिन्नांश के लिए	4.00 रु0
पचास ग्राम से अधिक के हर अतिरिक्त पचास ग्राम या उसके भिन्नांश के लिए	3.00 रु0

रजिस्ट्रीकृत समाचारपत्र

पचास ग्राम से अनधिक वजन के लिए	25 पैसे
पचास ग्राम से अधिक किन्तु एक सौ ग्राम से अनधिक वजन के लिए	50 पैसे
एक सौ ग्राम से अधिक के हर अतिरिक्त एक सौ ग्राम या उसके भिन्नांश के लिए	20 पैसे

किसी रजिस्ट्रीकृत समाचारपत्र के उसी अंक की एक से अधिक प्रतियां एक ही पैकेट में ले जाने की दशा में,—

एक सौ ग्राम से अनधिक वजन के लिए	50 पैसे
एक सौ ग्राम से अधिक के हर अतिरिक्त एक सौ ग्राम या उसके भिन्नांश के लिए	20 पैसे

परंतु यह तब जब कि ऐसा पैकेट किसी प्रेषिती के निवास स्थान पर परिदत्त नहीं किया जाएगा किन्तु किसी मान्यताप्राप्त अभिकर्ता को डाकघर में दिया जाएगा ।

पार्सल

पांच सौ ग्राम से अनधिक वजन के लिए	19.00 रु0
पांच सौ ग्राम से अधिक के हर पांच सौ ग्राम या उसके भिन्नांश के लिए	16.00 रु0 ।"।

148. जीवन बीमा अधिनियम, 1956 की धारा 43क का 1 जून, 2002 से लोप किया जाएगा। 1956 के अधिनियम 31 की धारा 43क का लोप।

149. साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 35क का 1 जून, 2002 से लोप किया जाएगा । 1972 के अधिनियम 57 की धारा 35क का लोप।

150. तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् तेल उद्योग (विकास) अधिनियम कहा गया है) धारा 22क का, 1 अप्रैल, 2003 से लोप किया जाएगा । 1974 के अधिनियम 47 की धारा 22क का लोप।

151. तेल उद्योग (विकास) अधिनियम की अनुसूची में, कच्चे तेल से संबंधित क्रम सं. 1 के सामने स्तंभ 3 में की प्रविष्टि के स्थान पर, "दो हजार रुपए प्रति टन" प्रविष्टि रखी जाएगी। 1974 के अधिनियम 47 की अनुसूची का संशोधन।

152. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 की धारा 44 का, 1 अप्रैल, 2003 से लोप किया जाएगा । 1987 के अधिनियम 37 की धारा 44 का लोप।

153. प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 22 का, 1 अप्रैल, 2003 से लोप किया जाएगा। 1990 के अधिनियम 25 की धारा 22 का लोप।

अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा

यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खंड 125, खंड 138, खंड 139, खंड 140 और खंड 151 के उपबंधों का, अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन तात्कालिक प्रभाव होगा।

1931 का 16